

सरल नोट्स राजस्थान भू
राजस्व अधिनियम 1956
पटवारी से भ.अ.नि. प्रतियोगी
परीक्षा

The Rajasthan land revenue Act
1956.

For patwari to ILR exam

प्रस्तुतकर्ता:-

महेश चन्द्र कौशिक

टी.आर.ए

यह सरल नोट्स पटवारी वर्ग की सहायता के लिये तैयार किये गये हैं तथा किसी भी कानूनी विवाद के लिये मान्य नहीं है। इसी प्रकार के अन्य नोट्स डाउनलोड करने के लिये विजिट करें।

<http://tranohar.blogspot.com>

contact me:-

mahesh2073@yahoo.com

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

पाठ्यक्रम

धारा 88 से 105 एवं धारा 132 से 137 तथा संबन्धित नियम यथा कृषि भूमि का कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नियम 2007 तथा राजस्थान भूमि आवंटन नियम 1970

धारा 88 :- इस धारा के अनुसार समस्त सार्वजनिक सड़कें रास्ते गलियां पुल खाईया नदियां तालाब आदि जल स्रोत जो दुसरे किसी व्यक्ति या संस्था की सम्पति नहीं है वे राज्य की सम्पति होंगे।

इस धारा के तहत जांच एवं निर्णय पारित करने का अधिकार जिला कलेक्टर को है तथा धारा 88 में जिला कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय का राजस्व मंडल में पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता है।

धारा 89:- इस धारा के अनुसार समस्त खनिजों खानों पत्थर की खदानों मत्स्य क्षेत्रों व किसी नदी में नाव चलाने का अधिकार राज्य सरकार का होगा।

इस धारा के तहत राज्य सरकार ऐसी भूमि को भी अधिग्रहित कर सकती है जो खनन के लिये सहायक कार्यों जैसे कार्यालय का निर्माण , मजदूरों व कारीगरों के लिये आवासों का निर्माण, खनिज की ढुलाई के लिये रेलवे लाईन आदि का निर्माण करने के लिये आवश्यक हो।

परन्तु धारा 89 के तहत ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने से पूर्व भूमि धारक को नोटिस देकर उसकी आपतियों की सुनवाई करके उसको उचित मुआवजा देकर ही ऐसा अधिग्रहण किया जा सकेगा। मुआवजा या प्रतिकर का निर्धारण जिला कलेक्टर द्वारा राजस्थान भू अवाप्ति अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकेगा।

कोई व्यक्ति बिना किसी विधिसंगत अधिकार के खान से खनिज प्रदार्थ निकालता है तो उस पर पचास रूपये प्रति टन के हिसाब से जुर्माना जिला कलेक्टर द्वारा धारा 89 (7) में आरोपित किया जा सकता है परन्तु ये जुर्माना 1000 रूपये से कम होने पर इसे 1000 रूपये तक बढ़ाया जा सकता है।

खनिजों में व्यवसायिक महत्व की रेत या मिट्टी भी शामिल है।

धारा 90 क कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों में प्रयोग –

कृषि प्रयोजन के हेतु कृषि भूमि को धारण करने वाला व्यक्ति और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको ऐसी भूमि या भूमि का भाग हस्तान्तरित किया गया हो उस भूमि का या उसके किसी भाग को उस पर भवन निर्माण हेतु अथवा अन्य किसी प्रयोजन के लिए काम में नहीं लायेगा सिवाय जबकि वह राज्य सरकार से इसके पश्चात बताये गये तरीके के अनुसार लिखित अनुमति प्राप्त कर लें और ऐसी अनुमति की शर्तों एवं प्रतिबन्धनों (Terms and Conditions) के विपरीत काम में न लें।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसी भूमि को या उसके किसी भाग को कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए काम में लाने का इच्छुक हो तो वह वांछित अनुमति के लिए विहित तरीके से और विहित अधिकारी का प्राधिकारी को आवेदन पत्र देगा और ऐसे आवेदन पत्र में विहित विवरण (Particular) होंगे।

(3) राज्य सरकार विहित ढंग से समुचित जांच करने या करवाने के पश्चात या तो आवेदित अनुमति देना अस्वीकार कर देगी अथवा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धनों के अधीन अनुमति प्रदान कर देगी।

(4) जब कभी ऐसी भूमि या उसके किसी भाग के कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग की अनुमति दे दी जावे तो जिस व्यक्ति को ऐसी अनुमति प्रदान की गई हो उसे राज्य सरकार को उस भूमि के लिए

(क) राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाये गये नियमों में दिये गये तरीके के अनुसार ऐसी दर पर लागू किया गया नगर सुधार कर (Urban Assesment), या

(ख) राज्य सरकार द्वारा विहित प्रीमियम के रूप में रकम, या

(ग) दोनों,

देय होंगे।

(5) यदि ऐसी कोई भूमि

(क) राज्य सरकार की लिखित पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना, या

(ख) ऐसी अनुमति की शर्तों तथा प्रतिबन्धों का पालन न करते हुए अन्यथा तथा

(ग) उप धारा (3) के अन्तर्गत ऐसी अनुमति अस्वीकार किये जाने के पश्चात, या

(घ) उपधारा (4) में उल्लेखित अदायगियों में से किसी का भी भुगतान किये बिना—

उक्त रूपेण काम में लाई जाए तो उस भूमि को पहले पहल कृषि प्रयोजनों के लिए धारण करने वाला व्यक्ति तथा बाद के समस्त अन्तरितिगण (Transferees) यदि कोई हों, अतिचारी (Trespasser) या यथा स्थिति, अतिचारीगण समझे जायेंगे और धारा 91 के अनुसार उसे या उन्हें इस प्रकार बेदखल किया जा सकेगा मानो उसने या उन्होंने बिना विधिसंगत अधिकार के उस भूमि पर अधिवास कर लिया (Occupied) या अधिवास जारी रखा और प्रत्येक ऐसी कार्यवाही पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (राजस्थान अधिनियम संख्या 3 सन् 1955) की धारा 212 के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानो वह भूमि नष्ट, क्षतिग्रस्त अथवा अन्य संक्रमण (Alienate) किये जाने के खतरे में थी।

किन्तु राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति तथा अनुवर्ती अन्तरितियों (Subsequent Transferees) को सम्बन्धित भूमि से उपर्युक्त प्रकार से बेदखल करने के स्थान पर उसके या यथा स्थिति राज्य सरकार को उपधारा (4) के अधीन देय नगर सुधार कर तथा तथा प्रीमियम अदा करने के अतिरिक्त शास्ति (Penalty) के रूप में ऐसा जुर्माना, जो विहित किया जाए, देने पर उक्त भूमि को रखने और कृषि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन में उपयोग करने की अनुमति दे सकेगी।

(प्रिय पटवारियों धारा 90 क से संबंधित नियम राजस्थान कृषि भूमियों का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नियम 2007 बनाए गए हैं जो आपको इसी ब्लोग पर हिन्दी में अलग से उपलब्ध करवाये जावेंगे)

90 ख कतिपय मामलों में भूमि में के अधिकारों का पर्यवसान और भूमि का पुनर्ग्रहण—

(1) इस अधिनियम और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी जहां राजस्थान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1999 (1999 का राजस्थान अधिनियम सं. 21) के प्रारम्भ के पूर्व (किसी नगरीय क्षेत्र की नगर योग्य सीमाओं या उपांत पट्टी में योग्य सीमाओं में, जो राज्य सरकार द्वारा राज पत्र में अधिसूचना द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाये) कृषि प्रयोजन के लिए कोई भी भूमि धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति ने ऐसी भूमि या, यथास्थिति, उसके भाग का अकृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया है या उपयोग किये जाने के लिए अनुज्ञात किया है या वह ऐसी भूमि या यथास्थिति, उसके भाग के तात्परित अकृषि उपयोग के लिए विक्रय या विक्रय के करार के रूप में और या मुख्तारनामा और/या वसीयत निष्पादित करके या किसी भी अन्य रीति से प्रतिफल के लिए कब्जे से अलग हो गया है वहां उक्त भूमि या जोत या, यथास्थिति, उसके भाग में के ऐसे किसी व्यक्ति के अधिकार और हित पर्यवसित किये जाने के दायी होंगे और ऐसी भूमि पुनर्ग्रहीत किये जाने की दायी होगी।

(2) जहां कोई भी भूमि उप धारा (1) के उपबन्धों के अधीन पुनर्ग्रहित किये जाने की दायी हो गयी है वहां कलेक्टर या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ऐसे व्यक्ति को यह कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए नोटिस को तामील करेगा कि उक्त भूमि को संक्षेप्त पुनर्ग्रहित क्यों नहीं कर लिया जाये और ऐसे नोटिस में, अन्य बातों के साथ साथ, भूमि की विशिष्टियां, प्रस्तावित कार्यवाही का कारण, वह स्थान, समय और तारीख, जहां और जब मामले की सुनवाई की जावेगी, अन्तर्विष्ट हो सकेगी।

(3) जब ऐसी भूमि का काश्तकार या धारक या, यथास्थिति, उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति ऐसी भूमि को (आवासन, वाणिज्यिक, संस्थागत, अर्द्ध वाणिज्यिक, औद्योगिक, सिनेमा या पेट्रोल पम्प के प्रयोजनों के लिए या मल्टिप्लेक्स इकाइयों अवसंरचना (Infrastructure) परियोजनाओं के लिए) जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाये विकसित करने के आशय से, ऐसी भूमि में के अपने अधिकारों को अभ्यर्पित करने के लिए अपनी रजामन्दी अभिव्यक्त करते हुए कलेक्टर या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन करता है तो कलेक्टर या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे व्यक्ति की रजामन्दी के बारे में समाधान होने पर, उक्त भूमि में के ऐसे व्यक्ति के अधिकारों और हित में पर्यवसन के लिए और ऐसी भूमि के पुनर्ग्रहण के लिए आदेश देगा।

(4) मामले की कार्यवाहियां संक्षेप्त : संचालित की जायेगी और साधारणतया उप धारा (2) के अधीन तामील किये गये नोटिस में विनिर्दिष्ट सुनवाई की प्रथम तारीख से साठ दिन की कालावधि के भीतर भीतर समाप्त की जायेगी।

(5) जहां पक्षकारों को सुनने के पश्चात कलेक्टर या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की यह राय हो कि भूमि उप धारा (1) के अधीन पुनर्ग्रहित की जाने की दायी है वहां वह कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात उक्त भूमि में के ऐसे व्यक्ति के अधिकारों और हित के पर्यवसान के लिए और उक्त भूमि के पुनर्ग्रहण के लिए आदेश देगा।

(6) उप धारा (3) और (5) के अधीन इस प्रकार पुनर्ग्रहित भूमि समस्त भारग्रस्तताओं से मुक्त रूप में राज्य में निहित होगी और ऐसा आदेश पारित होने की तारीख से इस अधिनियम की धारा 102-क के अधीन सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण के अधीन रखी गयी समझी जायेगी :

परन्तु उक्त धारा (3) के अधीन अभ्यर्पित भूमि ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध करायी जायेगी जो भूमि को, (आवासन, वाणिज्यिक, संस्थागत, अर्द्ध वाणिज्यिक, औद्योगिक, सिनेमा या पेट्रोल पम्प के प्रयोजनों के लिए या मल्टिप्लेक्स इकाइयों अवसंरचना (Infrastructure) परियोजनाओं के लिए) या अन्य सामुदायिक सुविधाओं के या लोकोपयोगी प्रयोजनों के लिए सम्बन्धित स्थानीय निकाय पर लागू नियमों, विनियमों और उप विधियों के अनुसार उसका सुनियोजित विकास करने के लिए अभ्यर्पित करता है।

(7) उपधारा (5) के अधीन किये गये आदेश से व्यथित व्यक्ति उप धारा (5) के अधीन आदेश पारित होने के तीस दिन के भीतर भीतर खण्ड आयुक्त या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को अपील कर सकेगा।

(8) खण्ड आयुक्त या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पक्षकारों को सुनने के पश्चात उसके समक्ष अपील प्रस्तुत करने की तारीख से साठ दिन की कालावधि के भीतर भीतर ऐसी अपील में समुचित आदेश पारित करेगा।

(9) खण्ड आयुक्त या इस इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन अपील में पारित किया गया आदेश अन्तिम होगा।

(10) किसी भी सिविल न्यायालय को, कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उप धारा (5) के अधीन किये गये आदेश को या खण्ड आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उप धारा (8) के अधीन किये गये किसी आदेश को प्रश्नगत करने वाले किसी भी वाद या कार्यवाही को ग्रहण करने या विनिश्चित करने की अधिकारिता नहीं होगी।

(11) इस धारा की कोई भी बात देवता, देवस्थान विभाग, किसी भी लोक न्यास या किसी भी धार्मिक या पूर्त संस्था या किसी वक्फ की किसी भी भूमि पर लागू नहीं होगी :

परन्तु जहां राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी लोक न्यास या कोई भी रजिस्ट्रीकृत पूर्व संस्था अपनी भूमि या जोत या उसके भाग और उससे प्राप्त प्रत्यागमों/आगमों का उपयोग अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के प्रयोजन के लिए करने का आशय रखती हो, वह ऐसी भूमि या जोत या उसके भाग में के अपने अधिकारों को अभ्यर्पित करने के लिए उप धारा (3) के अधीन कोई आवेदन सकेगी और उस दशा में इस धारा के उपबन्ध इस उपांतरण के साथ लागू होंगे कि ऐसे प्रयोजन उप धारा (3) के और उप धारा (6) के परन्तुक के लिए उपबंधित किये हुए समझे जायेंगे।

धारा 91 भूमि पर अनाधिकृत कब्जा

(1) कोई व्यक्ति जिसने भूमि पर बिना विधि संगत प्राधिकार के अधिवास (Occupation) कब्जा कर रखा हो या अधिवास रखता चला आ रहा है तो उसे अतिचारी समझा जायेगा और वह

वहां के तहसीलदार द्वारा उसकी इच्छा से या स्थानीय प्राधिकारी के आवेदन पत्र पर जिसके पास (at disposal) ऐसी भूमि रखी गई है, तुरन्त बेदखल किया जा सकता है और उस भूमि पर (खड़ी किसी भी फसल या) भवन (ठनपसकपदह) या अन्य निर्माण को या उस पर एकत्रित की गई किसी भी वस्तु को यदि उसे तहसीलदार द्वारा समय पर इस प्रयोजनार्थ निर्धारित युक्तियुक्त (Reasonable) समय में नहीं हटा लिया जावे तो राज्य सरकार द्वारा जब्त किया और ऐसी किसी फसल की स्थिति में ऐसी रीति से जैसा वह उचित समझे या अन्य स्थितियों में जैसा कलेक्टर आदेश दे उसका व्ययन (disposed) कर दिया जायेगा :

(2) ऐसा अतिचारी प्रत्येक कृषि वर्ष के लिए जिसमें वह पूरे साल या उसके कुछ भाग में पूरी भूमि या उसके किसी भाग पर अवैधानिक कब्जे में रहा हो, अतिक्रमण के प्रथम कार्य के लिए वार्षिक किराये या लगान के 50 गुणे तक शास्ति का, जैसी भी स्थिति हो, के दायित्वाधीन होगा। तत्पश्चात ऐसे प्रत्येक अतिक्रमण के कार्य के लिए वह तहसीलदार के आदेश से 3 माह तक के लिए सिविल जेल का और उपर्युक्त सीमा तक शास्ति का उत्तरदायी होगा। ऐसी शास्ति की राशि भू राजस्व की बकाया के तौर पर वसूल की जाएगी।

(3) जहां कोई अतिचारी जिसे उप धारा (2) के अन्तर्गत सिविल जेल भेजने की आज्ञा दी गई है, सिविल जेल की आज्ञा जारी करने वाले तहसीलदार का समाधान कर दे कि वह अपील करना चाहता है तो तहसीलदार ऐसी अतिचारी को उतनी अवधि के लिए जितनी वह अपील प्रस्तुत करने के लिए और अपील न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समझे, अपने मुचलके (ठवदक) पर छोड़ने की आज्ञा दे देगा और इस प्रकार मुचलके पर छूटे रहने की अवधि तक उक्त आज्ञा निलम्बित समझी जाएगी।

(3क) उप धारा (2) के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही करने से पूर्व उस व्यक्ति पर, जिसके विषय में रिपोर्ट है कि उसने भूमि पर बिना विधि संगत प्राधिकार के अधिवास कर लिया है अथवा वह ऐसा अधिवास जारी रख रहा है, एक नोटिस, जिसमें भूमि को विनिर्दिष्ट करते हुए उसे या तो किसी निर्धारित तारीख तक भूमि खाली करने के लिए या अपील करने और कारण बताने के लिए कि उसे भूमि से बेदखल क्यों नहीं कर दिया जाए, कहा गया हो, विहित रीति से तामील करावेगा।

(4) निम्नलिखित में से किसी स्थिति में अर्थात्—

(1) जहां पर अतिचारी न तो भूमि खाली करता है और न उपधारा (3) के अधीन जारी किये गये नोटिस के उत्तर में उपस्थित होता है, अथवा

(2) ऐसे नोटिस के उत्तर में जहां अतिचारी भूमि को खाली नहीं करे और उपस्थित हो जाए, परन्तु

(क) ऐसा कोई कारण नहीं बताए, अथवा

(ख) कोई अभ्यावेदन (Representation) प्रस्तुत कर दे जो कि ऐसी जांच अथवा सुनवाई के पश्चात जैसा कि मामले की परिस्थितियों में आवश्यक हो, रद्द कर दिया जाए तो खण्ड (2) के अधीन आने वाले मामलों में जब तक कि अतिक्रमणकारी (Trespasser) भूमि को एक सप्ताह

के समय में खाली करने का आश्वासन नहीं दे और इतने समय में खाली नहीं कर दे, तहसीलदार ऐसी भूमि से अतिचारी को हटाने के लिए किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्त (Depute) करेगा और उसका कब्जा ले लेगा और यदि तहसीलदार अथवा इस प्रकार प्रतिनियुक्त किये गये व्यक्ति का ऐसी भूमि पर कब्जा करने में विरोध किया जाए या बाधा डाली जाए तो तहसीलदार उसपर क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट तहसीलदार को भूमि सौंपा जाना बाधित (Enforce) करेगा।

(5) पूर्वागामी उपधारों में कुछ भी होते हुए भी तहसीलदार उस स्थिति में जब ऐसी कोई भूमि धारा 97 की उपधारा के परन्तुक के खण्ड (2) में वर्णित श्रेणी की हो, उपखण्ड अधिकारी के अनुमोदन से भूमि को उस अतिचारी को उसके द्वारा अवैध अधिवास की पूरी अवधि के लिए धारा (2) के अन्तर्गत वसूलीय कर (assessment) और शास्ति के अतिरिक्त धारा 96 के अन्तर्गत और उस पर लागू दर पर प्रीमियम की अदायगी कर देने पर, बेच सकेगा।

(6) उप धारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी—

(क) जो कोई भी किसी भूमि का विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अपने अधिभोग में लेता है या यदि राजस्थान भू राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रवृत्त होने के पूर्व उसने ऐसी भूमि को अधिभोग में लिया है तो, तहसीलदार के, उससे ऐसा करने की अपेक्षा करने वाले लिखित नोटिस नोटिस की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर भीतर ऐसा अधिभोग हटाने में विफल रहता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे सादा कारावास से, जो एक मास से कम का नहीं होगा, किन्तु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और

(ख) जो कोई भी, कलेक्टर के किसी लिखित आदेश से इस उपधारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को करना बन्द करने या रोकने के कर्तव्य से विनिर्दिष्ट रूप से न्यस्त राज्य सरकार का कर्मचारी ऐसे अपराध को करना बन्द करने या रोकने में जानबूझकर या जानते हुए उपेक्षा करता है या जानबूझकर लोप करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के सादा कारावास से जो एकमास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जावेगा—

परन्तु खण्ड (क) के अधीन के मामले में, न्यायालय ऐसे किसी पर्याप्त या विशेष कारण से, जिसे निर्णय में एक मास से कम की अवधि उल्लिखित किया जाएगा, के कारावास का दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा:

परन्तु यह भी कि इस उपधारा के खण्ड (क) के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण उप अधीक्षक, पुलिस की रैंक से नीचे के किसी अधिकारी द्वारा नहीं किया जावेगा:

परन्तु यह भी कि इस उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन के किसी अपराध का संज्ञान कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के सिवाय नहीं करेगा।

धारा 92:—चारागाह व आबादी विस्तार आदि के प्रयोजनार्थ भूमि अलग

रखने का प्रावधान:— भू राजस्व अधिनियम की धारा 92 के तहत चारागाह व आबादी

विस्तार आदि के लिये जिलाधीश भूमि अलग रख सकेगा तथा इस धारा के तहत जिलाधीश निम्न प्रयोजनों के लिये भूमि आरक्षित कर सकता है:—

1. चरागाह
2. वन हेतु
3. आबादी विस्तार
4. सार्वजनिक प्रयोजनार्थ
5. स्थानिय निकायों के किसी प्रयोजन हेतु

चारागाह के लिये आरक्षित भूमि पर चरने का अधिकार भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 93 के तहत केवल उसी गांव के पशुओं को होगा।

धारा 94:— भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 94 के तहत वनों की उपज पेड़ झाड़ियां आदि पर राज्य सरकार का अधिकार होगा तथा गांव की सीमा के बाहर किसी प्रकार की इमारती या जलाउ लकड़ी बगैर जिला कलेक्टर की अनुमति के नहीं ले जाई जा सकती है। तथा इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है।

भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 94 के तहत सड़क के किनारे लगाये गये वृक्ष भी राज्य सरकार की सम्पति होंगे तथा उनके सुख जाने या हवा से गिर जाने पर इनकी लकड़ी राज्य सरकार की सम्पति होगी।

तथा ऐसी लकड़ी को अनाधिकृत रूप से बेचने वाले से भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 94 ख के तहत लकड़ी का मूल्य वसूल किया जा सकेगा।

भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटन के

प्रावधान:—

जैसा कि हम पहले पढ चुके हैं कि भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत आबादी विस्तार हेतु भूमि आरक्षित रखी जा सकती है।

भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 95 में इस आरक्षित भूमि व नजूल भूमि को प्रिमियम लेकर आबादी विस्तार हेतु आवंटित करने का प्रावधान है।

वर्तमान में नगरपालिकाओं को ऐसी भूमि का आवंटन करने पर लगान का 40 गुणा पूंजीगत मूल्य व भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में होने पर आरक्षित कीमत का 4 गुणा वसूल किया जाता है ग्राम पंचायतों को आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटन निर्धारित प्रिमियम पर किया जाता है। जिसकी दरें भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 96 के अनुसार जिला कलेक्टर तय करता है। भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 97 के तहत आबादी विस्तार हेतु भूमि नीलामी से भी विक्रय की जा सकती है।

भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 98 के तहत बाड़ा आवंटन:— उपखण्ड अधिकारी भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 98 के तहत घर का कुड़ा करकट डालने व मवेशियों को रखने के लिये बिना प्रिमियम व बिना किराये के भूमि का आवंटन कर सकता है परन्तु यह

आवंटन उपलब्ध होने पर ही किया जा सकता है तथा अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता है। भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 98 के तहत आवंटित भूमि का बेचान दान अदला बदली बन्धक वसीयत आदि से हस्तांतरण नहीं किया जा सकता तथा राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से नीचे के स्तर का नहीं हो इस भूमि को पुनर्ग्रहित भी कर सकता है।

भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 99:— के तहत राज्य सरकार को किसी ग्राम में भवन निर्माण को नियमित करने का अधिकार है परन्तु आजकल यह कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने से यह धारा लगभग महत्वहीन हो गयी है।

भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 100 :- के तहत राज्य सरकार औद्योगिक तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों हेतु भूमि का बेचान करने के लिये नियम बना सकती है तथा ऐसी भूमियों पर वार्षिक कर लगा सकती है।

भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के प्रावधान:-

भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 101 के तहत कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन किया जाता है इस निमित्त राजास्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 अलग से बने हुये हैं जो आपको इस ब्लॉग पर अलग से उपलब्ध करवाने के प्रयास किये जावेंगे।

भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 के तहत कृषि से अलग प्रयोजन हेतु भी भूमि आवंटन किया जा सकता है। धारा 102 के तहत धारा 92 के तहत आरक्षित भूमि किसी स्थानिय प्राधिकारी को संपुर्ण की जा सकती है।

भूमि किसे कहते हैं? भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 103 में भूमि का व्यापक अर्थ दिया गया है जिसके अनुसार भूमि राजास्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5 की उपधारा 24 में परिभाषित भूमि के अलावा राजास्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 के तहत अवाप्त भूमि भी भूमि में शामिल है।

इसके अलावा रास्ते सड़क गोचर श्मशान आदि के काम आने वाली सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि भी भूमि है या ऐसी भूमि जिसका सर्वेक्षण सार्वजनिक प्रयोजनार्थ काम में आने के लिये किया गया हो।

राजास्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5 की उपधारा 24 में परिभाषित भूमि के अनुसार भूमि में शामिल है:-

1. कृषि प्रयोजनार्थ धारित भूमि
2. कृषि के सहायक प्रयोजनों हेतु धारित भूमि
3. वृक्ष वाटिका के लिये धारित भूमि
4. चारागाह के लिये काम आने वाली भूमि
5. मकानों द्वारा अधिवासित भूमि
6. पानी से भरी भूमि जो सिंधाड़ा उगाने या सिंचाई के काम आती है।

7. धरती से संलग्न किसी वस्तु से स्थायी रूप से जकड़ी हुयी वस्तुएं व भूमि से प्राप्त लाभ भी भूमि के दायरे में आते हैं।

परन्तु आबादी भूमि इसमें शामिल नहीं है।

धारा 103 में भूमि के अलावा आबादी भूमि को भी अलग से परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार आबादी भूमि वह भूमि है जो धारा 92 के तहत आबादी विस्तार हेतु सुरक्षित की गयी हो।

धारा 104 के प्रावधानों के अनुसार चारागाह या आबादी विस्तार के लिये अलग रखी गयी भूमि के लिये राजस्व अधिकारियों की शक्तियां इस संबंध में बनाये गये नियमों के अनुसार स्थानिय प्राधिकारियों द्वारा उपयोग में लायी जा सकेगी।

धारा 105 के अनुसार धारा 95 96 97 98 और 102 की कोई भी बात काश्तकारों को गांव में निशुल्क निवास हेतु स्थान रखने के अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकेगी।

राजस्व मंडल द्वारा पटवारी से भू0अ0नि0 प्रतियोगिता परीक्षा के लिये कोई अलग से पाठयक्रम जारी नहीं किया गया है इसलिये इस पाठयक्रम का अंदाजा विगत प्रश्न पत्रों के आधार पर किया गया है तथा मेरे ख्याल से सीमा ज्ञान संबधि प्रावधानों पर विगत वर्षों में प्रश्न नहीं पूछे गये फिर भी भू राजस्व अधिनियम की धारा 111 व 128 के प्रावधान इस परीक्षा हेतु उपयोगी होने से यंहा दिए जा रहे हैं:-

धारा 111 सीमाओं के सम्बन्ध में विवादों का निपटारा

(1) किन्हीं सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लैंड रेकार्डस आफिसर, जहां तक सम्भव हो, वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटाएगा और यह सम्भव न हो अथवा ऐसे नक्शे उपलब्ध न हों तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा।

(2) यदि इस धारा के अधीन किसी झगड़े की जांच के दौरान लैंड रिकार्डस आफिसर अपने आपका समाधान नहीं सके कि किस पक्ष का कब्जा है अथवा यदि यह बतलाया जाय कि जांच के प्रारम्भ होने से पूर्व के तीन मास के भीतर विधि संगत अधिवासियों को विधि संगत (unlawful) रूप से बेदखल करके कब्जा प्राप्त किया गया तो लैंड रिकार्डस आफिसर सरसरी जांच द्वारा निश्चय करेगा कि कौन कब्जा पाने का सर्वोत्तम अधिकारी है और तदनुसार सीमा स्थिर करेगा।

धारा 128 सीमा विवाद

सीमा सम्बन्धी समस्त विवाद भू अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित नीति से तय किये जायेंगे :

परन्तु खेतों के सीमा सम्बन्धी आवेदन पत्र, जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसे विवाद उठने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायें।

धारा 132 वार्षिक रजिस्टर

(1) भू अभिलेख अधिकारी अधिकार अभिलेख का संधारण करेगा तथा उस प्रयोजन के लिए प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर, जो राज्य सरकार विहित करे, धारा 114 और 120 में वर्णित (गिनाये गये) (enumerated) रजिस्ट्रों का एक सेट (set) या संशोधित सेट, जैसी भी स्थिति हो, तैयार करवायेगा और इस प्रकार तैयार किए गए रजिस्टर वार्षिक रजिस्टर कहलायेंगे।

(2) भू अभिलेख अधिकारी वार्षिक रजिस्ट्रों में निर्धारित रीति से उन परिवर्तनों को, जो हो जाएं तथा किसी भी व्यवहार (Transaction) को जो किन्हीं अभिलिखित (दर्जशुदा) अधिकारों या हितों को प्रभावित कर सकें, दर्ज करायेगा।

धारा 133 के तहत कोई भी व्यक्ति जो किसी सम्पत्ति या भूमि में उत्तराधिकार से या अन्य प्रकार से कब्जे का अन्तरण प्राप्त करता है तो वह इसकी सूचना तहसीलदार को सीधे या पटवारी व भू अ नि के माध्यम से तीन माह के अन्दर अन्दर देगा।

परन्तु इस सूचना के आधार पर नामान्तरकरण खोलन से पूर्व उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है जिसका नाम पहले अधिकार अभिलेख में था।

इस धारा के अधीन तहसीलदार के नामान्तरकरण संबन्धि निर्णयों में तहसीलदार राजस्व अधिकारी है राजस्व न्यायालय नहीं है।

धारा 134 के तहत ऐसी सूचना नहीं देने पर सूचना देने में उपेक्षा करने वाले व्यक्ति पर 10 रुपये तक जुर्माना किया जा सकेगा।

धारा 135 सूचना मिलने पर प्रक्रिया

(1) ऐसी सूचना प्राप्तहोने पर या अन्यथा ऐसे तथ्यों का ज्ञान होने पर तहसीलदार ऐसी जांच करेगा जो आवश्यक प्रतीत हो और निर्विवाद मामलों में यदि यह प्रतीत हो कि उत्तराधिकार या अन्तरण (Transfer) या अन्य अवाप्ति (Acquisition) हो चुकी है, तो वह उसे वार्षिक रजिस्ट्रों में अभिलिखित करेगा।

(2) यदि उत्तराधिकार या अन्तरण या अन्य प्रकार से अवाप्ति विवादास्पद हो तो तहसीलदार, यदि वह इस अधिनियम या तत्समय प्रभावशाली किसी अन्य विधि के अन्तर्गत सक्षम हो, विधि के अनुसार ऐसे विवाद कानिर्णय करेगा और यदि इस प्रकार सक्षम न हो तो विवाद को किसी अन्य अधिकारी के पास, जो निर्णय देने में सक्षम हो, भेज देगा।

धारा 136 गलतियों का शुद्धिकरण

भू अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा, जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर

में कर लिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अपील अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस देख लें।

परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जावेगी जब तक कि पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नहीं दे दिया गया हो।

धारा 137 के तहत भू सम्पतियों पर उत्तराधिकार उस क्षेत्र की प्रथा विधि या रिवाज के अनुसार नियमित किया जा सकेगा चाहे अधिनियम में कुछ भी लिखा हो ।

ABOUT ME



MAHESH CHANDER KAUSHIK TRA

Visit my other blogs

<http://sharegenius.blogspot.com/>

<http://popati.blogspot.com/>

<http://hindidugdugi.blogspot.com/>

<http://tranohar.blogspot.com/>

sent your feedback to

mahesh2073@yahoo.com